प्रा0पत्र / 67 / 2022 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

इब्राहिम पुत्र मासूक अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 2 तुलसी नगर रसूलवाद कानपुर देहात उ.प्र.

.....प्रार्थी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा.फो. बाबत सुपुर्दगी वाहन आईशर रजि. नम्बर UP-77AN-4963 व सिलसिले एफ.आई.आर. न. 22 / 2022 पुलिस थाना कोतवाली अन्तर्गत धारा 3,5,6,8 राज0गो0 पशु (वध प्रतिषेध और अस्थापित नियति व विनयमन)

उपस्थित :–
1–श्री शैलेन्द्र सिंह फौजदार अभिभाषक प्रार्थी,
2–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 28.6.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वाहन आईशर रजि. नं. यूपी 77–AN-4963 का एक मात्र स्वामी है प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी मे लेने का अधिकारी है। प्रार्थी की गाडी दिनांक 13.1.2022 को जमालपुर गुरुग्रांम हरियाणा से चोरी हो गई थी जिसकी एफआईआर संख्या 19 / 2022 थाना विलासपुर जिला गुरुग्रांम हरियाणा पर दर्ज कराई थी। थाना रसूलाबाद कानपुर देहात द्वारा एक नोटिस दिनांक 19.5.2022 को भेजा गया जिससे प्रार्थी को जानकारी में आया कि प्रार्थी की उक्त गाडी को दिनांक 14.1.2022 को पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर पर पकडा गया है तथा उक्त गाडी को गोवंश से भरा हुआ जप्त किया गया था। वाहन पुलिस थाना परिसर कोतवाली में खुले में खड़ा हुआ है जिसका ऐसे खराब मौसम में खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी का उक्त कथित अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है क्यों कि प्रार्थी की गाडी दिनांक 13.1.2022 को चोरी हो गयी थी। प्रार्थी को अपने कार्य को करने एवं कारोबार को चलाने के लिये अपने वाहन की आवश्यकता है। वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई है

.....2

रीडर
कलक्टर,भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर से पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

वाहन आईशर रजि. नं. यूपी 77–AN-4963 का एक मात्र स्वामी है प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी मे लेने का अधिकारी है। प्रार्थी की गाडी दिनांक 13.1.2022 को जमालपुर गुरुग्रांम हरियाणा से चोरी हो गई थी जिसकी एफआईआर संख्या 19/2022 थाना विलासपुर जिला गुरुग्रांम हरियाणा पर दर्ज कराई थी। प्रार्थी का वाहन को दिनांक 14.1.2022 को गोवंश से भरा हुआ थाना कोतवाली ने जप्त किया गया था। वाहन पुलिस थाना परिसर कोतवाली में खुले में खड़ा हुआ है जिसका ऐसे खराब मौसम में खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी का उक्त कथित अपराध से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है क्यों कि प्रार्थी की गाडी दिनांक 13.1.2022 को चोरी हो गयी थी। न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा प्रार्थी को स्वीकार होगी। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाकर वाहन सुपुर्दगी में दिया जावे,

पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि उक्त वाहन थाना कोतवाली भरतपुर में एफआईआर नंबर 22/2022 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, व 8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर धारा 3,5,6,8 में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीयपशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नही दिया जा सकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर राज0 से प्राप्त रिपोर्ट अवलोकन किया गया। उक्त वाहन गौवंश तस्करी परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर द्वारा गौवंश अधिनियम धारा 3,5/8 में मु0न0 22/2022 में जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

.....3

रीडर
कलक्टर, भरतपुर

".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंबधित है..... ।"

इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। हम ए.पी.पी. के तर्को से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निणर्य प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस पुलिस थानाधिकारी कोतवाली भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

( आलोक रंजन )
जिला कलक्टर,
भरतपुर